SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 CRIMINAL PROCEDUR CODE 1898

In the court कि मिण्ड प्रथम असे एम.एफ.सी गोहद मिण्ड गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

- जरण कमाक /2017

Name and address of the complain म०प्र० शास्त्र द्वारा पुलिस थाना..... े. ती निरह न्द्रपुट के अर्थी कुछ के अर्थ के अर्थ

name, parentage, caste and address of accused क राह्म अं रिने के के के के कि कि कि कि कि के के

धारम । बड ध्या की एक्ट की अपादाय में घोष्र मिलाबार्शन हुये कामानय उठने ते क

The offence complained of, and date of its alleged commission बने स्थान ध्यान के हमाञ्चल आपने दिन कं 3-2-18 के समय लगभग 19.00 mp30mW 4258 को । बराब पीकर नक्षे की हालत में बलाया प्रकार आमने ऐसा कृत्य किया जो एम वही एक्ट की पारा 185 के अतर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालयके संज्ञान में है। क्या आपको उक्त अपराय स्वीम र है या प्रतिरक्षा च हिते हैं।। e plea of the accused and bis examination [if any]नेहद, जिला-१०७७ (म.प्र.)

गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of theproperty in respect of whitch the offence has been committed

श आज दिन ांक
को घोषित

आरोपी की स्वैच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे धारा 185 के अ तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हूरे दोष सिद्ध ठहराया गया। दण्ट के प्रशन पर दिचार किया गया। आरोपी के दिरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोष सिद्धि प्रमाणित नहीं है। आरोपी की स्वीकृति एवं अपराध की प्रवृति को देखते हुये आरोपी को धारा 185 एम ही एक्ट की अपराध में दोष सिद्धि पाते हुये न्यायालय उठने तक कै कारावास रवं रूपये २००० के अधदण्ड से दिझ डत किया जाताहै है।

अधेदण्ड की राशि जमा न होनेकी दशा में १० दिन का सामारणं कारा-वास भगताया जावे।

nuse (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of

निषय खुले नायायालय में हस्ताशरित एवं दिनां कित कर घोषित।

पंकरन शर्मा अस्ति । विकास स्वाहित । गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

मेरे निदेश पर लिखा गया।

9 oc/02/18

न्यायिक मा ्ट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)